फैक्स / पंजीकृत

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

संख्या/12726-801/दस–लाइसेंस–72/एफ.एल.6–7/बार अनुज्ञापन/नियमआदि/2014–15
दिनांक : इलाहाबादः सितम्बर 23 ,2014

समस्त जिला आबकारी अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः–**होटलों/रेस्टोरेन्टों/ढाबों में अवैध रूप से संचालित बारों को समाप्त करने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपदों में स्थित अनुज्ञापित बारों की जानकारी जनसामान्य को न होने के कारण प्रायः मदिरा का सेवन करने वाले व्यक्तिओं द्वारा होटल/रेस्टोरेन्टों/ढाबों में अवैध रूप से संचालित बारो में जाकर मदिरा का उपभोग किया जाता है। इससे जहाँ एक ओर राज्य को उपभोग आधारित प्राप्त होने वाले राजस्व का क्षरण होता है, वहीं दूसरी ओर अवैध रूप से लायी गई मदिरा के सेवन से जनहानि की आशंका भी रहती है।

अस्तु उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये जाते है :–

1– जनपद में संचालित अनुज्ञापित बारों की सूची स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करायी जाय तथा जनपद की एन0आई0सी की वेबसाइट पर भी अपलोड करायी जाय।

2– समाचार पत्रों के माध्यम से जनसामान्य से यह भी अनुरोध कर लिया जाये कि यदि उक्त सूची में अंकित अनुज्ञापित बार अनुज्ञापनों के अतिरिक्त अन्य किसी होटल/रेस्टोरेन्टों/ ढाबों में अवैध रूप से बार संचालित हों, तो उसकी सूचना सम्बन्धित संयुक्त आबकारी आयुक्त, उप आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी निरीक्षकों को दूरभाष पर सूचित किया जाय। इस हेतु सम्बन्धित अधिकारियों के मोबाइल नं0/सी0यू0जी0 नं0 भी प्रकाशित कराये जॉय।

उपरोक्तानुसार यदि जनपद में अनधिकृत रूप से बारों के संचालन के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होती है, तो शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर पुलिस प्रशासन के सहयोग से छापा/दबिश डालकर उन्हें समूल नष्ट कराया जाय।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(अनिल गर्ग) 23/9
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या 12802-13078/दस–लाइसेंस–72/एफ.एल.6–7/बार अनुज्ञापन/नियमआदि/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, आबकारी विभाग, बापू भवन, लखनऊ।
2– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3– समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
4– समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
5– वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी, मुख्यालय को वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
6– समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स, उ0प्र0 को प्रभावी अनुश्रवण हेतु।
7– संयुक्त आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0, उत्तर प्रदेश।
8– समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार, उ0प्र0।
9– समस्त सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन/एस0एस0एफ0, उ0प्र0।
10– गार्ड फाइल, लाइसेंस अनुभाग।

(अनिल गर्ग) 23/9
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।